रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062021-227368
CG-DL-E-03062021-227368

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 2021/ज्येष्ठ 11, 1943
No. 293] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 2021/JYAISTHA 11, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2021

सा.का.नि. 359(अ).—केंद्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप–धारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीनदयाल पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा तैयार किए गए, इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में यथा वर्णित, दीनदयाल पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2021 को एतदद्वारा अनुमोदित करती है, नामतः—

2. उक्त संशोधित विनियम, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीनदयाल पत्तन न्यास का न्यासी मंडल एतदद्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) विनियम, 2009 को आगे संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः —

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—

(1) इन विनियमों को दीनदयाल पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।

2. कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) विनियम, 2009 (इसके बाद मूल विनियम के रूप में संदर्भित) में –

(i) पहले पैरा में ''कांडला'' शब्द, दोनों स्थानों पर जहां ये आते हैं, को ''दीनदयाल'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) अनुसूची में जहां भी ''कांडला'' शब्द आता है, इसे ''दीनदयाल'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. मूल विनियमों में, विनियम 1, उप–विनियम (1) में, ''कांडला'' शब्द को ''दीनदयाल'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. मूल विनियमों में, विनियम 4 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः–

4. नियुक्ति का तरीका :–

(1) ऐसे पदों, जिन पर यह विनियम लागू होते हैं, की सभी नियुक्तियां इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी। नियुक्ति या तो पदोन्नति या आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती है।

(2) विभाग अध्यक्ष के रूप में माने गए पदों और विभाग अध्यक्ष के एक स्तर नीचे के पदों के संबंध में नियुक्तियां, सभी रिक्तियों को ''भर्ती की संयोजन पद्धति'' द्वारा पदोन्नति या आमेलन पर स्थानांतरण के माध्यम से इसमें असफल होने पर महापत्तनों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त निकायों, सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति और इन दोनों में असफल होने पर सीधी भर्ती से भर कर की जाएगी।

(3) पदोन्नति या आमेलन पर स्थांनातरण इन विनियमों में अनुबंधित अनुसूची में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले महापत्तन न्यासों के अधिकारियों से किया जाना चाहिए।

(4) पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले महापत्तनों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/स्वायत्त निकायों या सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिएः

बशर्ते कि किसी महापत्तन न्यास के बोर्ड का कोई कर्मचारी, महापत्तन न्यासों में विभाग अध्यक्ष स्तर के पद के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि तीन वर्ष है, जिसे चार वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में यदि किसी पद के मामले में, उसके पदाधिकारी को विभागाध्यक्ष माना गया हो, तो केंद्र सरकार द्वारा और विभागाध्यक्ष के स्तर के नीचे वाले किसी अन्य पद के मामले में अध्यक्ष द्वारा इसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

5. अनुसूची में,–

(क) सचिव के पद से संबंधित क्र. सं.1 के सामने,–

(क) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''1,00,000–2,60,000/– रु.

टिप्पणीः तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000 – 280000/– रु. के वेतनमान में उन्नयित किया जाएगा;''

(ख) कॉलम 12 में प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''संयोजन पद्धति के माध्यम से आमेलनः

(i) किसी महापत्तन न्यास के सामान्य प्रशासन या मानव संसाधन विकास विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले 80000– 220000/–रु. के वेतनमान का पदधारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

प्रतिनियुक्तिः

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग या मानव संसाधन विकास विभाग में 100000– 260000/–रु. के वेतनमान में इस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले सचिव या समतुल्य पद धारित करने वाले अधिकारी या सामान्य प्रशासन विभाग या मानव संसाधन विकास विभाग में 80000–220000/–रु. या इससे अधिक के वेतनमान में अस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय (महापत्तनों से अलग) के वरिष्ठ उप सचिव और समतुल्य पदों को धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगें।

चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों में समग्र ग्रैडिंग में बैंचमार्क ''बहुत अच्छा'' से नीचे नहीं होगा।

(ख) वित्तीय सलाहाकार और मुख्य लेखा अधिकारी के पद से संबंधित क्र.सं. 17 के सामने–

(क) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''1,00,000–2,60,000/– रु.

टिप्पणीः तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000 – 280000/– रु. के वेतनमान में उन्नयित किया जाएगा ;''

(ख) कॉलम 12 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

'' संयोजन पद्धति के माध्यम से आमेलनः

(i) किसी महापत्तन न्यास के वित्त विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले 80000–220000/–रु के वेतनमान का पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

प्रतिनियुक्तिः

(ii) वित्त विभाग में 100000– 260000/–रु. के वेतनमान में इस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले वित्तीय सलाहाकर और मुख्य लेखा अधिकारी या समतुल्य पद धारित करने वाले अधिकारी या वित्त विभाग में 80000– 220000/–रु या इससे अधिक के वेतनमान में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय (महापत्तनों से अलग) के वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी और समतुल्य पदों को धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगें।

चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टो में समग्र ग्रैडिंग में बैंचमार्क ''बहुत अच्छा'' से नीचे नहीं होगा।

(ग) मुख्य यांत्रिकी अभियंता के पद से संबंधित क्र.सं. 26 के सामने–

(क) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''1,00,000–2,60,000 /– रु.

टिप्पणीः तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000 –280000 /– रु. के वेतनमान में उन्नयित किया जाएगा ;''

(ख) कॉलम 12 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

'' संयोजन पद्धति के माध्यम से आमेलनः

(i) किसी महापत्तन न्यास के यांत्रिकी और **विधुत** अभियांत्रिकी विभाग और मरीन विभाग (केवल मरीन अभियंताओं की श्रेणी के लिए लागू) में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले 90000–240000 /–रु. के वेतनमान का पद धारित करने वाले और तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले 80000–220000 /– रु. के वेतनमान के पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

प्रतिनियुक्तिः

(ii) यांत्रिकी और **विधुत** अभियांत्रिकी विभाग में 100000– 260000 /–रु. के वेतनमान में इस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले मुख्य यांत्रिकी अभियंता और समतुल्य पद धारित करने वाले अधिकारी या यांत्रिकी और **विधुत** अभियांत्रिकी विभाग में 80000– 220000 /–रु. और इससे अधिक के वेतनमान में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय (महापत्तनों से अलग) के उप मुख्य यांत्रिकी अभियंता और समतुल्य पदों को धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगें।

चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों में समग्र ग्रैडिंग में बैंचमार्क ''बहुत अच्छा'' से नीचे नहीं होगा।

(घ) यातायात प्रबंधक के पद से संबंधित क्र.सं. 33 के सामने–

(क) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''1,00,000–2,60,000 /– रु.

टिप्पणीः तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000 – 280000 /– रु. के वेतनमान में उन्नयित किया जाएगा ;''

(ख) कॉलम 12 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

'' संयोजन पद्धति के माध्यम से आमेलनः

(i) किसी महापत्तन न्यास के यातायात विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले 80000–220000 /–रु. के वेतनमान का पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

प्रतिनियुक्तिः

(ii) यातायात विभाग में 100000– 260000 /–रु. के वेतनमान में इस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले यातायात प्रबंधक और समतुल्य पद धारित करने वाले अधिकारी या यातायात विभाग में 80000– 220000 /–रु. और इससे अधिक के वेतनमान में इसश्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित

प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय (महापत्तनों से अलग) के वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक और समतुल्य पदों को धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगें।

चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों में समग्र ग्रैडिंग में बैंचमार्क ''बहुत अच्छा'' से नीचे नहीं होगा।

(ङ) मुख्य अभियंता के पद से संबंधित क्र.सं. 38 के सामने–

(क) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''1,00,000–2,60,000/– रु.

टिप्पणीः तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000 – 280000/– रु के वेतनमान में उन्नयित किया जाएगा;''

(ख) कॉलम 12 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

'' संयोजन पद्धति के माध्यम से आमेलनः

किसी महापत्तन न्यास के सिविल अभियांत्रिकी विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले 80000– 220000/–रु. के वेतनमान का पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

प्रतिनियुक्तिः

सिविल अभियांत्रिकी विभाग में 100000– 260000/–रु. के वेतनमान में इस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले मुख्य अभियंता और समतुल्य पद धारित करने वाले अधिकारी या सिविल अभियांत्रिकी विभाग में 80000– 220000/–रु. और इससे अधिक के वेतनमान में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय (महापत्तनों से अलग) के उप मुख्य अभियंता और समतुल्य पदों को धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगें।

चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों में समग्र ग्रैडिंग में बैंच मार्क ''बहुत अच्छा'' से नीचे नहीं होगा।

(च) मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से संबंधित क्र.सं. 43 के सामने–

(क) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''1,00,000–2,60,000/– रु.

टिप्पणीः तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000 – 280000/– रु. के वेतनमान में उन्नयित किया जाएगा ;''

(ख) कॉलम 12 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए, नामतः–

''संयोजन पद्धति के माध्यम से आमेलनः

किसी महापत्तन न्यास के चिकित्सा विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले 80000– 220000/–रु. के वेतनमान का पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

प्रतिनियुक्तिः

चिकित्सा विभाग में 100000– 260000/–रु. के वेतनमान में इस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी और समतुल्य पद धारित करने वाले अधिकारी या चिकित्सा विभाग में 80000– 220000/–रु. और इससे अधिक के वेतनमान में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय (महापत्तनों से अलग) के वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी और समतुल्य पदों को धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगें।

चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों में समग्र ग्रैडिंग में बैंच मार्क ''बहुत अच्छा'' से नीचे नहीं होगा।

(छ) मुख्य प्रचालन प्रबंधक के पद से संबंधित क्र.सं. 52 के सामने–

(क) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''1,00,000–2,60,000/– रु.

टिप्पणीः तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000 – 280000/– रु. के वेतनमान में उन्नयित किया जाएगा ;''

(ख) कॉलम 12 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

'' संयोजन पद्धति के माध्यम से आमेलनः

किसी महापत्तन न्यास के मरीन या अभियांत्रिकी या यातायात विभाग में इस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले 90000– 240000/–रु. के वेतनमान का पद धारित करने वाले अधिकारी या तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले 80000– 220000/–रु के वेतनमान का पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

प्रतिनियुक्तिः

मरीन या अभियांत्रिकी या यातायात विभाग में 100000– 260000/–रु. के वेतनमान में इस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले पद धारित करने वाले अधिकारी या 80000–220000/–रु. और इससे अधिक के वेतनमान में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय (महापत्तनों से अलग) के अधिकारी पात्र होंगे।

चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों में समग्र ग्रैडिंग में बैंच मार्क ''बहुत अच्छा'' से नीचे नहीं होगा।

(ज) ''उप संरक्षक'' अधिकारी के पद से संबंधित क्र.सं. 53 के सामने–

(क) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

''1,00,000–2,60,000/– रु.

टिप्पणीः तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000 – 280000/– रु. के वेतनमान में उन्नयित किया जाएगा ;''

(ख) कॉलम 12 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः–

'' संयोजन पद्धति के माध्यम से आमेलनः

किसी महापत्तन न्यास में एक वर्ष की नियमित सेवा वाले 100000– 260000/–रु के वेतनमान में हार्बर मास्टर का पद धारित करने वाले अधिकारी या दो वर्ष की नियमित सेवा वाले 90000– 240000/–रु. के वेतनमान में हार्बर मास्टर का पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

प्रतिनियुक्तिः

100000– 260000/–रु. के वेतनमान में इस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले उप संरक्षक और इससे समतुल्य डैक साइड पद धारित करने वाले अधिकारी या 90000– 240000/–रु. के वेतनमान में इस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा वाले केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय (महापत्तनों से अलग) के हार्बर मास्टर और समतुल्य डैक साइड पदों को धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों में समग्र ग्रैडिंग में बैंच मार्क ''बहुत अच्छा'' से नीचे नहीं होगा।

टिप्पणीः मुख्य विनियम सा.का.नि. 767 (ई), दिनांक 20 अक्तूबर, 2009 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उन्हें निम्नलिखित संख्या के तहत सं"ोधित किया गया था :–

(i) सा.का.नि. 551 (ई), दिनांक 7 जुलाई, 2015;

(ii) सा.का.नि. 152 (ई), दिनांक 08 फरवरी, 2016;

(iii) सा.का.नि. 1124 (ई), दिनांक 09 दिसंबर, 2016;

(iv) सा.का.नि. 545 (ई), दिनांक 02 जून, 2017;

(v) सा.का.नि. 852 (ई), दिनांक 10 सितंबर, 2018;

(vi) सा.का.नि. 120 (ई), दिनांक 15 फरवरी, 2019;

(vii) सा.का.नि. 473 (ई), दिनांक 05 जुलाई, 2019 ; और

(viii) सा.का.नि. 06 (ई), दिनांक 02 जनवरी, 2020.

[फा. सं. पीआर–24021/23/2020 पीई–I]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2021

G.S.R. 359(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Deendayal Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2021, made by the Board of Trustees of the Deendayal Port Trust as set out in the Schedule annexed to this notification, namely:-

2. The said regulations shall come into force on the date of their publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Deendayal Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, namely:-

1. Short title and commencement.-

(1) These regulations may be called Deendayal Port Trust Employees (Recruitment Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations),-

(i) in the opening paragraph for the word "Kandla" at both the places where they occur, the word "Deendayal" shall be substituted;

(ii) in the SCHEDULE, for the word "Kandla" wherever they occur, the word "Deendayal" shall be substituted.

3. In the principal regulations, in regulation 1, sub-regulation (1), for the word "Kandla", the word "Deendayal" shall be substituted.

4. In the principal Regulations, for regulation 4 the following regulation shall be substituted, namely:-

4. Manner of Appointment .-

(1) All appointments to the posts to which these regulations apply shall be made in accordance with the provisions of these regulations. Appointment may be made either by promotion or by absorption or deputation or direct recruitment.

(2) Appointments in respect of posts treated as Head of Department and posts one level below to the Head of Department, all the vacancies shall be filled by "Composite method of recruitment" through promotion or transfer on absorption basis failing which by deputation from the employees of the Major Ports, the Central Government, State Governments, Autonomous Bodies, Government Companies and failing both by direct recruitment.

(3) The promotion or transfer on absorption shall be from the officers from the Major Port Trusts fulfilling the eligibility criteria prescribed in the Schedule annexed to these regulation.

(4) Deputation shall be of employees from the Major Ports, the Central Government, State Governments/Autonomous Bodies or Government Companies fulfilling the eligibility criteria prescribed for the post:

Provided that an employee of a Board of any Major Port Trust shall not be eligible for deputation to the Head of Department level post in the Major Port Trusts.

(5) The normal period of deputation is three years, which is extendable to four years. In exceptional circumstances, this can be extended to five years by the Central Government in the case of a post, the incumbent of which is regarded as the Head of Department and by the Chairman in the case of any other post below the level of Head of Department".

5. in the Schedule, -

(a) against Sl. No.1 relating to the post of Secretary,-

(A) In column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" Rs.1,00,000 - 260000/-

Note: The pay scale will be upgraded to the scale of pay of Rs.120000 – 280000/- after completion of three years regular service with the approval of the Central Government";

(B) In column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Absorption through composite method:

(i) Officers holding posts in the scale of pay of Rs.80000 – 220000/- with three years regular service in the General Administration or Human Resource Development Department of a Major Port Trust shall be eligible

Deputation:

(ii) Officers holding post of Secretary and equivalent posts in General Administration Department or Human Resource Development Department in the scale of pay of Rs. 100000 – 260000/- with two years regular service in the grade or officers holding post of Senior Deputy Secretary and equivalent posts in General Administration Department or Human Resource Development Department in the scale of pay of Rs. 80000–220000/-and above, with five years regular service in the grade in the Central Government or State Governments or Union Territory administration/ Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies (other than Major Port Trusts) will be eligible.

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below "Very good".

(b) against SI.No.17 relating to the post of Financial Advisor and Chief Accounts Officer.-

(A) In column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" Rs.1,00,000 - 260000/-

Note: The pay scale will be upgraded to the scale of pay of Rs.120000 – 280000 /- after completion of three years regular service with the approval of the Central Government";

(B) In column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Absorption through composite method:

(i) Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 80000 –220000/- with three years regular service in the Finance Department of a Major Port Trust shall be eligible.

Deputation:

(ii) Officers holding posts of Financial Advisor and Chief Accounts Officer and equivalent posts in the Finance Department in the scale of pay of Rs. 100000 – 260000/- with two years regular service in the grade or officers holding posts of Senior Deputy Chief Accounts Officer and equivalent posts in Finance Department in the scale of pay of Rs. 80000 - 220000/- and above with five years regular service in the grade in the Central Government or State Governments or Union Territory administration/ Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies (other than Major Port Trusts) shall be eligible.

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below "Very good".

(c) against Sl.No.26 relating to the post of Chief Mechanical Engineer,-

(A) In column 5, for the entries, the following entries shall be substituted,

namely:-

" Rs.1,00,000 - 260000/-

Note: The pay scale will be upgraded to the scale of pay of Rs.120000 – 280000/- after completion of three years regular service with the approval of the Central Government";

(B) In column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:- "Absorption through composite method:

Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 90000 – 240000/- with two years regular service or Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 80000 – 220000/- with three years regular service in the Mechanical and Electrical Engineering Department and Marine Department (applicable to categories of Marine Engineers only) in a Major Port Trust shall be eligible.

Deputation:

Officers holding posts of Chief Mechanical Engineer and equivalent posts in the Mechanical and Electrical Engineering Department in the scale of pay of Rs. 100000 – 260000/- with two years regular service in the grade or officers holding post of Deputy Chief Mechanical Engineer and equivalent posts in the Mechanical and Electrical Engineering. Department in the scale of pay of Rs. 80000 – 220000/- and above with five years regular service in the grade in the Central Government or State Governments or Union Territory administration/Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies (other than Major Port Trusts) will be eligible.

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below "Very good".

(d) against Sl.No.33 relating to the post of Traffic Manager,-

(A) In column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" Rs.1,00,000 - 260000/-

Note: The pay scale will be upgraded to the scale of pay of Rs.120000 – 280000/- after completion of three years regular service with the approval of the Central Government".

(B) In column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" Absorption through composite method:

Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 80000 – 220000/- with three years regular service in the grade in the Traffic Department of a Major Port Trust shall be eligible.

Deputation:

Officers holding posts of Traffic Manager and equivalent posts in the Traffic Department in the scale of pay of Rs. 100000 – 260000/- with two years regular service in the grade or officers holding post of Senior Deputy Traffic Manager and equivalent posts in Traffic Department in the scale of pay of Rs. 80000 – 220000/- and above with five years regular service in the grade in the Central Government or State Governments or Union Territory administration/ Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies (other than Major Port Trusts) shall be eligible.

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports shall not be below "Very good".

(e) against Sl.No.38 relating to the post of Chief Engineer,-

(A) In column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" Rs.1,00,000 - 260000/-

Note: The pay scale will be upgraded to the scale of pay of Rs.120000 – 280000/- after completion of three years regular service with the approval of the Central Government".

(B) In column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Absorption through composite method:

Officers holding posts in the scale of pay of Rs.80000 – 220000/- with three years regular service in the grade in the Civil Engineering Department of a Major Port Trust shall be eligible.

Deputation:

Officers holding posts of Chief Engineer and equivalent posts in the Civil Engineering Department in the scale of pay of Rs. 100000- 260000/- with two years regular service in the grade or officers

holding posts of Deputy Chief Engineer and equivalent posts in Civil Engineering Department in the scale of pay of Rs. 80000 – 220000/- and above with five years regular service in the grade in the Central Government or State Governments or Union Territory administration/ Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies (other than Major Port Trusts) will be eligible.

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below "Very good".

(f) against SI.No.43 relating to the post of Chief Medical Officer,-

(A) In column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" Rs.1,00,000 - 260000/-

Note: The pay scale will be upgraded to the scale of pay of Rs.120000 – 280000/- after completion of three years regular service with the approval of the Central Government".

(B) In column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Absorption through composite method:

Officers holding posts in the scale of pay of Rs.80000 – 220000/- with three years regular service in the grade in the Medical Department of a Major Port Trust shall be eligible.

Deputation:

Officers holding the post of Chief Medical Officer and equivalent posts in the Medical Department in the scale of pay of Rs.100000 – 260000/-with two years regular service in the grade or officers holding post of Senior Deputy Chief Medical Officer and equivalent Specialists posts in the scale of pay of Rs. 80000 – 220000/- and above in the Medical Department with five years regular service in the grade in the Central Government or State Governments or Union Territory

administration/ Public Sector Undertakings or Autonomous bodies (other than Major Port Trusts) shall be eligible.

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below "Very good".

(g) against Si.No.52 relating to the post of Chief Operations Manager,-

(A) In column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" Rs.1,00,000 - 260000/-

Note: The pay scale will be upgraded to the scale of pay of Rs.120000 – 280000/- after completion of three years regular service with the approval of the Central Government".

(B) In column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Absorption through composite method:

Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 90000-240000/- with two years regular service or Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 80000-220000/- with three years regular service in the grade in the Marine or Engineering or Traffic Department of a Major Port Trust shall be eligible.

Deputation:

Officers holding posts in the scale of pay of Rs.100000-260000 with two years regular service in the grade or officers in the scale of pay of Rs.80000-220000/- and above with five years regular service in Marine or Engineering or Traffic Department in the Central Government or State Governments or Union Territory administration/Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies (other than Major Port Trusts) will be eligible.

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below "Very good".

(h) against SI.No. 53 relating to the post of "Deputy Conservator",-

(A) In column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" Rs.100000 - 260000/-

Note: The pay scale will be upgraded to the scale of pay of Rs.120000 – 280000/- after completion of three years regular service with the approval of the Central Government".

(B) In column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Absorption through composite method:

Officers holding post of Harbour Master in the scale of pay of Rs. 100000 – 260000/- with one year regular service or Officers holding post of Harbour Master in the scale of pay of Rs.90000 – 240000/- with two years regular service in the grade in a Major Port Trust shall be eligible.

Deputation:

Officers holding post of Deputy Conservator and its equivalent Deck side post in the scale of pay of Rs.100000 – 260000/- with two years regular service in the grade or officers holding post of Harbour Master and its equivalent Deck side posts in the scale of pay of Rs.90000 – 240000/- with four years regular service in the grade in the Central Government or State Governments or Union Territory administration/ or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies (other than Major Port Trusts) will be eligible.

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below "Very good".

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, extraordinary, vide number G.S.R. 767(E), dated the 20th October, 2009 and was subsequently amended *vide* number:-

(i) G.S.R. 551(E), dated 07th July, 2015;
(ii) G.S.R. 152(E), dated 08th February, 2016;

(iii) G.S.R. 1124(E), dated 09th December, 2016;

(iv) G.S.R. 545(E), dated 02nd June, 2017;

(v) G.S.R. 852(E), dated 10th September, 2018;

(vi) G.S.R. 120(E), dated 15th February, 2019;

(vii) G.S.R. 473(E), dated 05th July, 2019 and

(viii) G.S.R. 06(E), dated 02nd January. 2020

[F. No. PR-24021/23/2020-PE-I]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.03 21:08:48 +05'30'